

Seventeenth Loksabha

an>

Title: Regarding laying of approved matters under rule 377.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखने की अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय सदस्य 377 के मामले सभा पटल पर रख दें। आधा घंटा-डेढ़ घंटा लेट हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसी दिन रख दें। अगले दिन 377 के मामले नहीं लिये जा सकते हैं। यह मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ और व्यवस्था दे रहा हूँ। उस दिन लेट हो जाए कोई बात नहीं।